5 सामाजिक जुड़ाव

समुदाय की आपदा पूर्व तैयारी और
आपदा से बचाव हेतु परामर्श पुस्तिका

जीवन के साथ-साथ सामाजिक जुड़ाव

EUROPEAN COMMISSION
Humanitarian Aid

Malteser International
Order of Malta Worldwide Relief

Sahbhagi Shikshan Kendra
A Centre for Participatory Learning

समुदाय की आपदा पूर्व तैयारी और
आपदा से बचाव हेतु परामर्श पुस्तिका

5

जीवन के साथ-साथ

सामाजिक जुड़ाव

राहतपुरवा और दुखनपुरवा गाँव में रहने वाले परिवारों के लोग

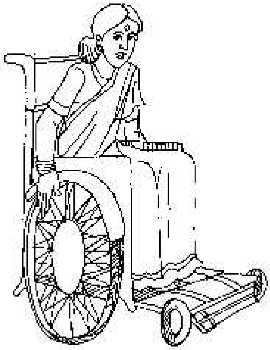
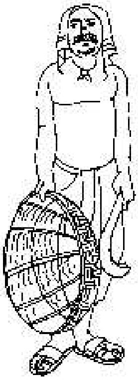

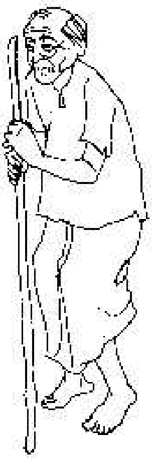

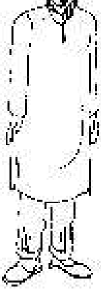

जीवन के साथ-साथ

सामाजिक जुड़ाव

राहतपुरवा और दुखनपुरवा दो पड़ोसी गाँव हैं, जो मगरा नदी के किनारे बसे हैं। यह नदी इन दोनों गाँवों के साथ इलाके के कई गाँव में हर साल बाढ़ लाती है। साथ ही नदी का हर साल अपना रास्ता बदलने का भी स्वभाव है । इस कारण कभी बांयीं तरफ तो कभी दांयीं तरफ की खेती योग्य जमीन कट जाती है। करीब बीस साल पहले बाढ़ से बचाव के लिए एक तटबंध बनाया गया था। उससे पहले ये नदी बहुत बड़े इलाके में बाढ़ लाती थी। राहतपुरवा और दुखनपुरवा दोनों गाँवों के हर एक तरफ तटबंध है और दूसरी तरफ नदी या यूँ कहें कि दोनों गाँव नदी और तटबंध के बीच पड़ते हैं। दोनों ही गाँव में अधिकांश परिवार ठाकुर जाति के हैं। राहतपुरवा में कुल 18 परिवार हैं जिसमें दस ठाकुर, चार ब्राह्म्‍ण और चार दलित हैं, जबकि दुखनपुरवा में कुल 22 परिवार हैं, जिसमें 12 ठाकुर, 6 ब्राह्म्‍ण, 2 दलित और पुरवा की बाहरी सरहद पर दो मुस्लिम परिवार हैं। वैसे दोनों ही गाँव में विभिन्न जाति, धर्म के परिवारों के बीच लड़ाई तो नहीं है, परन्तु छोटा मोटा मनमुटाव और भेद-भाव जरूर है। इन दोनों गाँवों को कहानी के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि दोनों ही गाँवों में आपदा से बचाव और आपदा के प्रबंधन के बारे में जानकारी देने वाली एक गैर सरकारी संस्था ने सम्पर्क किया था। राहतपुरवा के लोगों ने संस्था की बातों को सुना, समझा और अमल में लाया, जबकि दुखनपुरवा के लोगों

सामाजिक जुड़ाव कार्यदल के सदस्यों के चुनाव हेतु बैठक

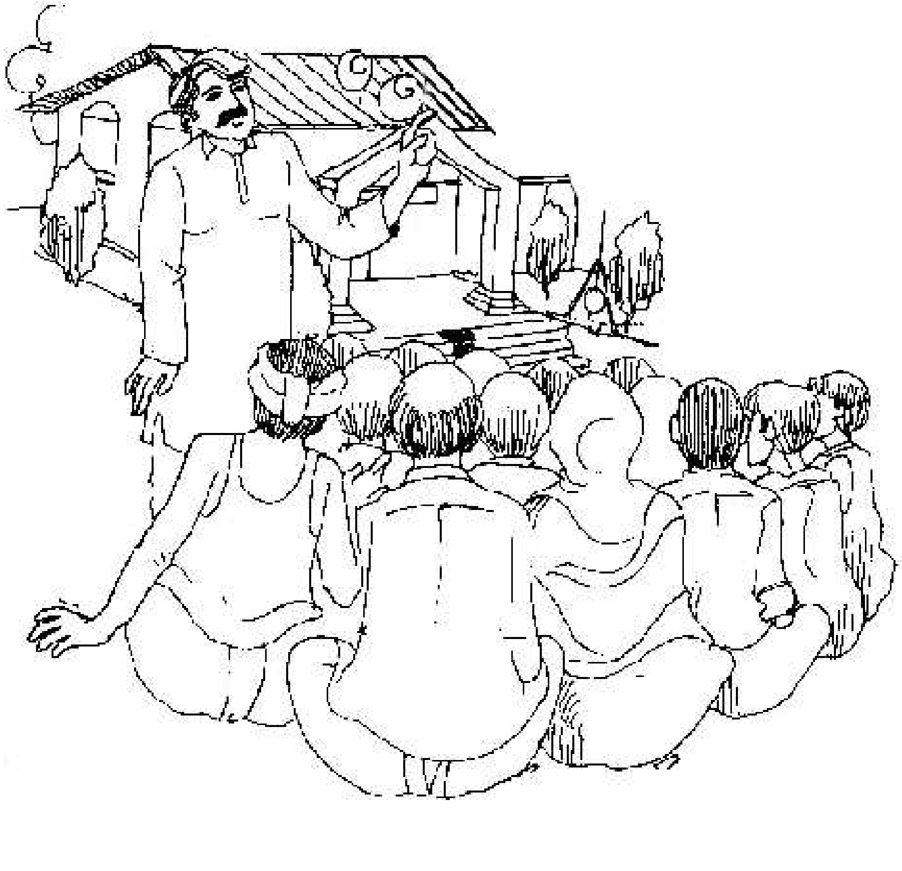

ने संस्था की बातों को हवा में उड़ा दिया। संस्था द्वारा कार्यदलों के सभी सदस्यों को आपदा प्रबंधन से जुड़े पाँच विषयों (पूर्व चेतावनी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, शुद्ध पेयजल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक जुड़ाव) पर अलग-अलग प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणोपरांत कार्यदल के इन सदस्यों ने संस्था द्वारा बताए गए कार्ययोजना के अनुसार आपदा प्रबंधन की दिशा में बाकी कार्यदलों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि बाढ़ आने पर दोनों गाँवों में क्या-क्या हुआ। राहतपुरवा में गैर सरकारी संस्था की मदद से पाँच विषयों पर लोगों की बीच समझ बनी और इन विषयों पर कार्यदलों का गठन किया गया। इस पुस्तिका में हम लोग सामाजिक जुड़ाव कार्यदल के बारे में जानेंगे। राहतपुरवा सामाजिक जुड़ाव कार्यदल के एक सदस्य का नाम जीवन है।

जीवन एक संवेदनशील लड़का है, जिसे राहतपुरवा के दुखी परेशान लोगों की बड़ी चिन्ता रहती है, इसलिए जब 'राहतपुरवा विकास समिति' की कार्यदल सदस्यों के चुनाव की बैठक हो रही थी तो गांव वालों ने जीवन का नाम 'सामाजिक जुड़ाव कार्यदल' के लिए लिखवाया। गैर सरकारी संस्था द्वारा विभिन्न पंचायतों के 'सामाजिक जुड़ाव' कार्यदल के सदस्यों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीवन भी शामिल हुआ। सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा कैसे देना चाहिए इस विषय पर प्रशिक्षण पाने के बाद जीवन निःसहाय लोगों के प्रति और भी अधिक संवेदनशील हो गया है। जीवन और सामाजिक

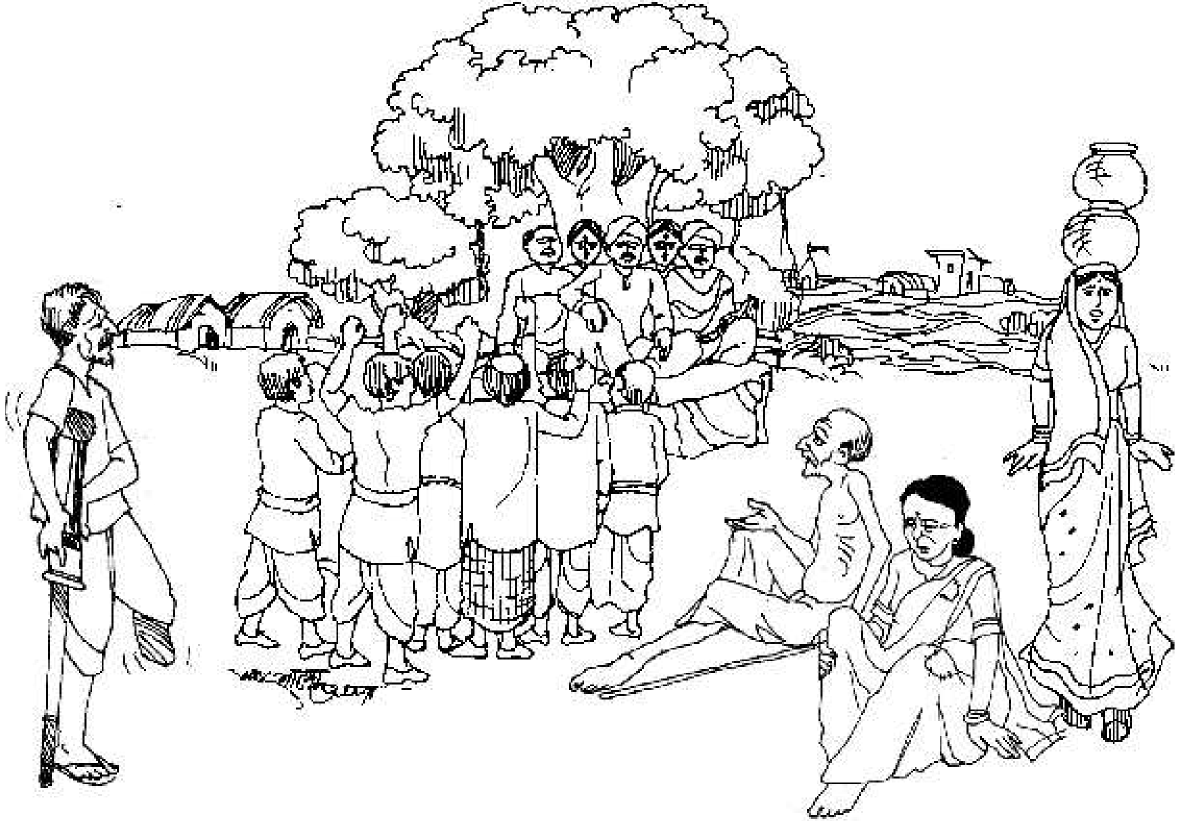

आपदा में सामाजिक रूप से अलग-थलग समूहों की स्थिति

जुड़ाव कार्यदल के सदस्यों ने प्रशिक्षण सामग्री की मदद से चारों – 'पूर्व चेतावनी', 'खोज और बचाव', 'प्राथमिक उपचार' और 'शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य' कार्यदलों के सदस्यों को सामाजिक जुड़ाव के बारे में समझाने की योजना बनायी। जीवन और उसके साथियों ने बताया कि कई बार जानकर और कई बार अनजाने में हमारी सदियों से चली आ रही लिंग, जाति, वर्ग, धर्म विकलांगता और बुजुर्गों के लिए सोच/विचार के कारण कुछ लोग समाज की मुख्यधारा में पीछे रह जाते हैं, इन्हीं को साथ लाना सामाजिक जुड़ाव है। जैसे कई बार हम बुजुर्गों की विशेष शारीरिक आवश्यकता का उपहास करते हुए उनके प्रति असंवेदनशील स्वभाव अपना लेते हैं।

जीवन और उसके कार्यदल के साथियों ने अगली बैठक समुदाय के साथ की जिसमें प्रशिक्षण सामग्री में दिये गये अभ्यासों के माध्यम से लोगों को सामाजिक अलगाव क्या है, कैसे विकास के रास्ते में कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, गरीबी ओर दूसरे पर निर्भरता कैसे उन लोगों को और भी निःसहाय बना देती है, यह सब समझाया। जीवन ने बताया जैसे एक छोटा बच्चा अपने मां-बाप पर निर्भर है ठीक उसी प्रकार बूढ़े मां-बाप भी जवान बच्चों पर निर्भर होते हैं और किसी भी आपदा के समय बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, विधवा, एकल महिलाओं, विकलांगों और गरीब आदि निःसहाय समूहों/व्यक्तियों को विशेष मदद की जरूरत होती है। निःसहायता का अर्थ समझाने के बाद जीवन ने राहतपुरवा वासियों से कहा कि वे अगली बैठक तक अपने-अपने परिवार में निःसहाय व्यक्तियों की सूची बनायें और साथ ही यह भी जानें कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। समुदाय के साथ अगली बैठक तीन दिन बाद रविवार शाम को निश्चित हुई।

आपदा के बाद राहत और पुनर्वास लाभ में अक्सर विधवाएं, एकल महिलाएं, विकलांग, प्रवासी मजदूर छूट जाते हैं।

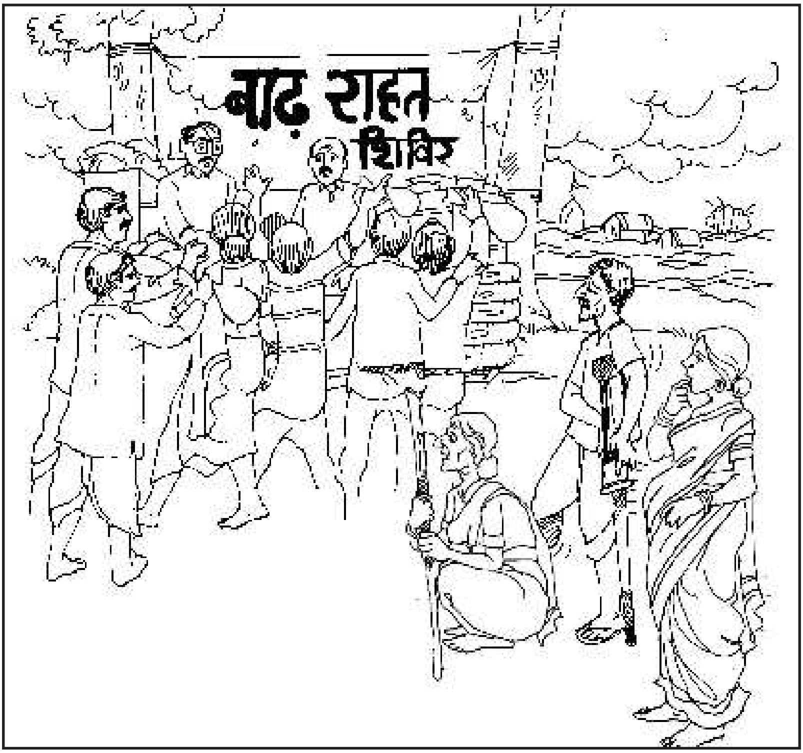

विकलांगता एक गतिशील प्रक्रिया है जो निजी कारणों, पर्यावरणीय कारकों और जीने की आदतों से बारीकी से संबंधित है। जीने की आदतें वे दैनिक गतिविधियां या महत्वाकांक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाएं है। जो एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक कल्याण में योगदान करती हैं। विकलांगता को इसलिए स्पष्ट रूप से हालात की स्थिति के रूप में देखा जाता है जो हर व्यक्ति की

अलग-अलग होती है और यह उस वातावरण पर निर्भर करती है, जिसमें व्यक्ति रहता है।

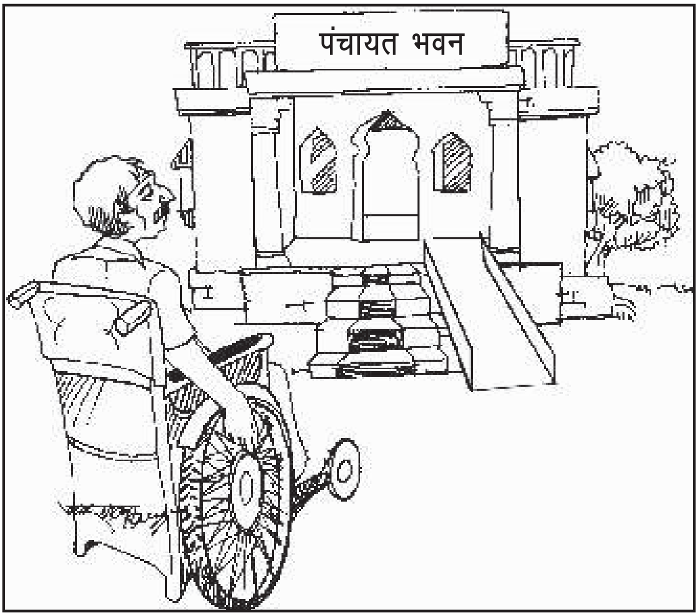

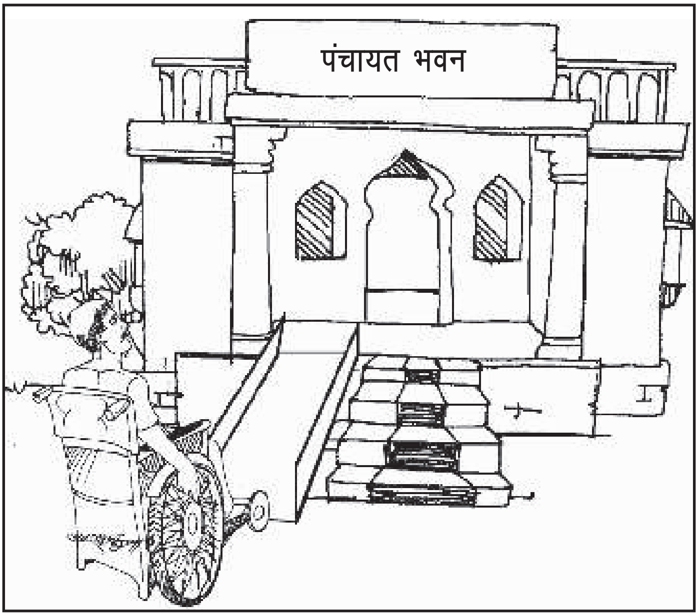

सामूहिक बैठकों में निःसहायता व क्षमता आकलन तथा जरूरी विमर्श

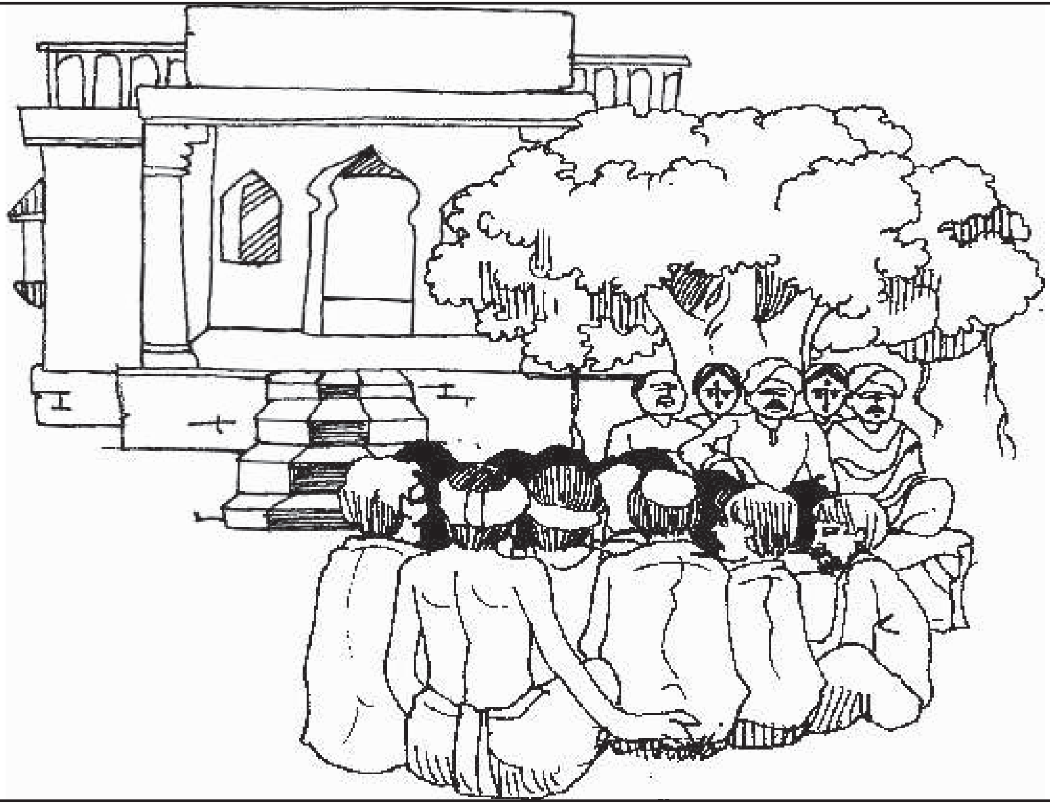

रविवार की बैठक की शुरूआत जीवन और सामाजिक जुड़ाव कार्यदल के सदस्यों ने पिछली बैठक की बातों को याद दिलाते हुए की, और कहा कि आज हम निःसहायता और सामाजिक अलगाव को गहराई से जानेंगे। जीवन ने राहतपुरवा निवासियों को समझाते हुए बताया कि **हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि पुरूषों को घर के बाहर के काम काज करने चाहिए और महिलाओं को घर के भीतर के कामों को करना चाहिए,** लेकिन यदि किसी परिवार में पुरूष मुखिया न हो जैसे तीस साल की विधवा का घर, तो उस विधवा को घर के साथ बाहर के कामों का जिम्मा भी लेना पड़ता है। यह बात सुनते ही **गाँव की विधवा रेवती काकी बोल पड़ी और अपना दुख बताने लगी, उन्होंने बताया कि कैसे हर बाढ़ में उन्हें अपने पशुओं और बच्चों को बचाने में कितनी मुश्किल आती है और पिछली बाढ़ में गाँव से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी जिस कारण उनकी दो बकरियां मर गयी थीं।** जीवन ने रेवती काकी की बात में जोड़ते हुए बताया कि एक तो काकी महिला हैं, उनके बच्चे भी छोटे हैं और वे बाढ़ में बच्चों को छोंड़कर, पशुओं को सुरक्षित जगह पर नहीं ले जा सकती हैं, दूसरा **उनके परिवार में कोई पुरूष न होने के कारण बाढ़ के समय उनकी मुश्किलें दुगनी बढ़ जाती हैं। रेवती काकी दो तरफा निःसहाय हो जाती हैं।** जीवन ने बताया कि अगर किसी ने रेवती काकी के जानवरों को तटबंध पर पहुंचाने में मदद कर दी होती तो उनकी बकरियां बच गयी होती या गांव में ही पास

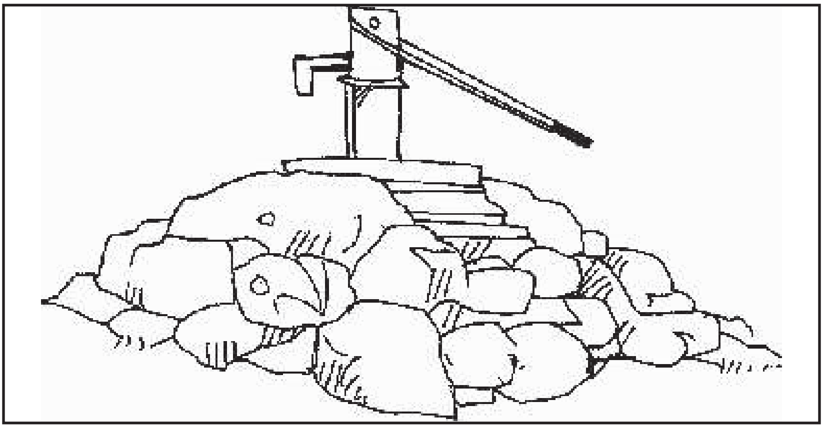

उच्चीकृत चापाकल

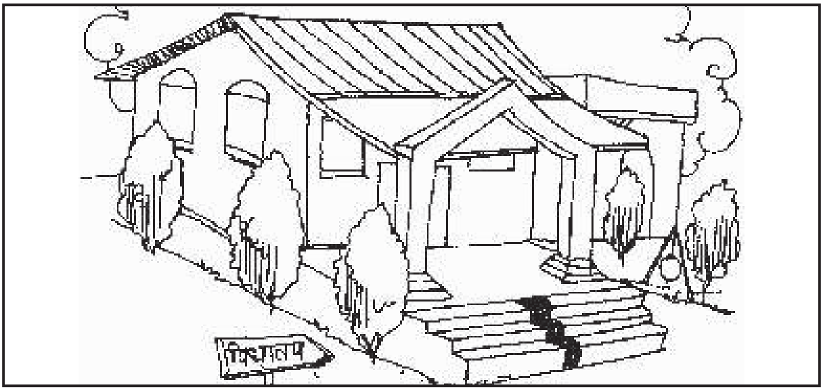

विद्यालय

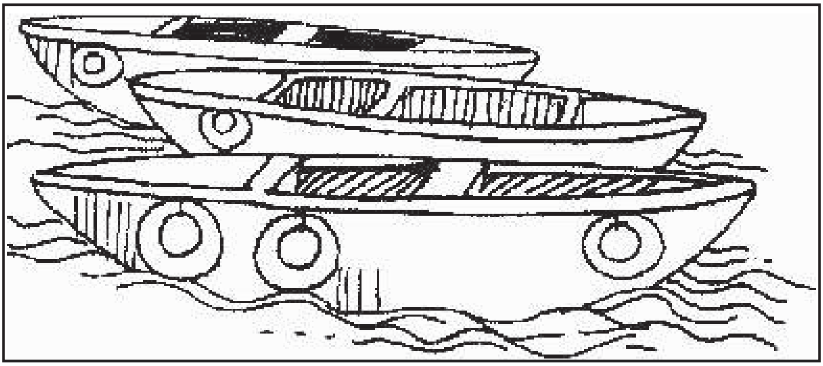

नाव

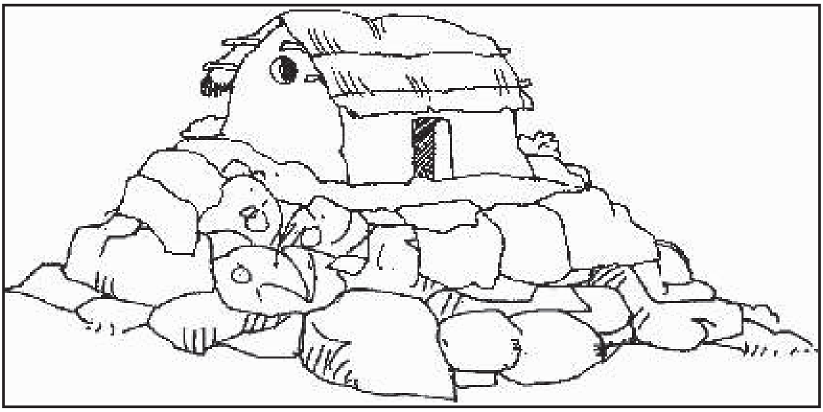

उच्चीकृत आवास

में कोई सुरक्षित ऊँची जगह होती तो भी बकरियां बच सकती थीं। इसी तरह अगर **गाँव में ही सुरक्षित स्थल, स्वास्थ्य केन्द्र, ऊँचा नल आदि भौतिक ढांचे हो तो भी आपदा के नुकसान को कम किया जा सकता है।** अतः गांव में निःसहायता को आंकते समय निःसहाय समूहों और व्यक्ति के साथ ऐसे भौतिक ढांचे या उपकरण, जिनके होने या न होने से आपदा का प्रभाव बढ़ जाये को भी निःसहायता सूची में लिखना चाहिए। जैसे गाँव में नाव न हो तो बाढ़ के समय बचाव में कठिनाई होगी, इसी प्रकार यदि गाँव के कोई इमारत कमजोर है तो भी बाढ़ के समय मुश्किल बढ़ सकती है। जीवन ने चर्चा के बाद गाँव वालों के साथ मिलकर गाँव का निःसहायता मानचित्र तैयार किया।

जीवन और सामाजिक जुड़ाव कार्यदल के सदस्य गैर सरकारी संस्था के साथियों से मिले और उनके द्वारा राहतपुरवा निवासियों के साथ मिलकर बनाए गए निःसहायता आंकलन, क्षमता और

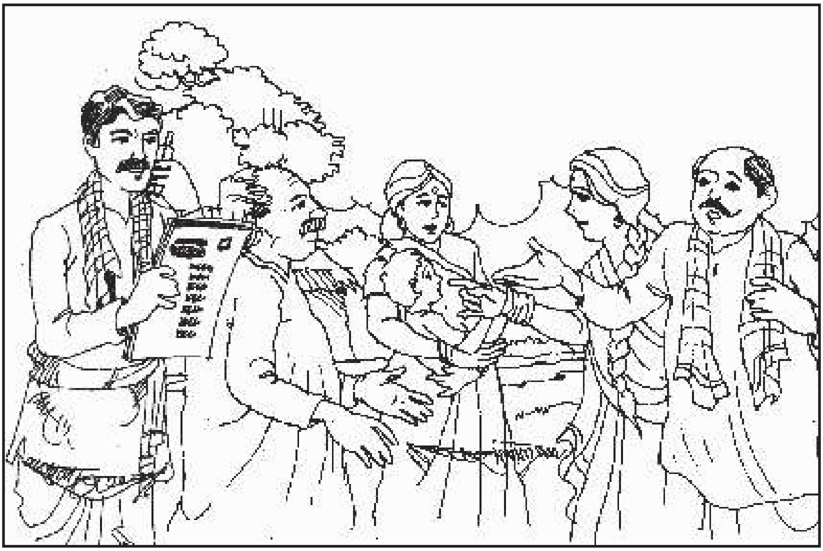

निःसहायता का आंकलन

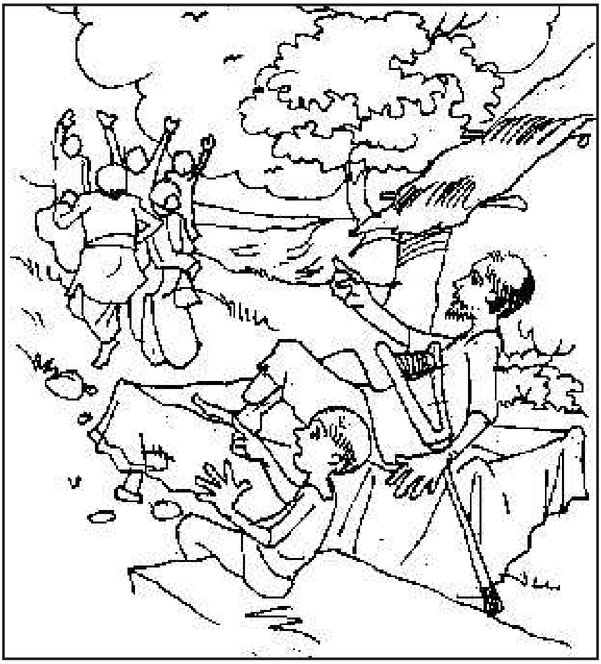

निःसहाय वर्ग को जोड़ने की आवश्यकता

जोखिम आंकलन के दस्तावेज- 'आपदा न्यूनीकरण योजना' को साथ ले गए। राहतपुरवा में जाकर जीवन और सामाजिक जुड़ाव कार्यदल के अन्य सदस्यों ने उक्त दस्तावेज की सहायता से लोगों को राहत पुरवा में निःसहाय लोगों, और निःसहायता के भौतिक कारणों, राहतपुरवा की बचाव की क्षमता और कौन लोग इन कारणों से सबसे ज्यादा जोखिम में हैं ये सब बातें विस्तार से समझायी।

दूसरी तरफ जीवन और उसके साथी पंचायत स्तरीय अधिकारियों और प्रधान से भी लगातार मिलते रहे। इन लोगों को भी राहतपुरवा की आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना दिखायी और जरूरी आंकड़े भी दर्ज कराए। ब्लॉक विकास अधिकारी से विशेष अनुरोध किया कि यदि सरकार ऐसी योजनाओं की घोषणा करती है जो राहत पुरवा के निःसहाय लोगों के लिए उपयोगी हो, तो इन की जानकारी राहतपुरवा सामाजिक जुड़ाव कार्यदल को भी अवश्य दें।

जीवन और सामाजिक जुड़ाव कार्यदल के सदस्य अन्य कार्यदलों से भी मिलते रहे और उनको भी राहतपुरवा की आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना की जानकारी दी, साथ ही उनकी और अपनी तैयारियों के बारे में भी चर्चा की।

अगस्त माह में जब बाढ़ आयी तो राहतपुरवा के चारों दलित

विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क

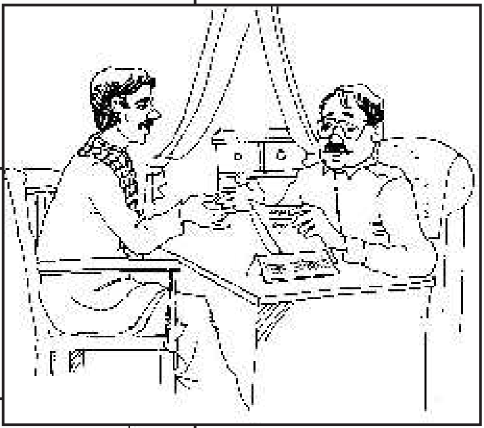

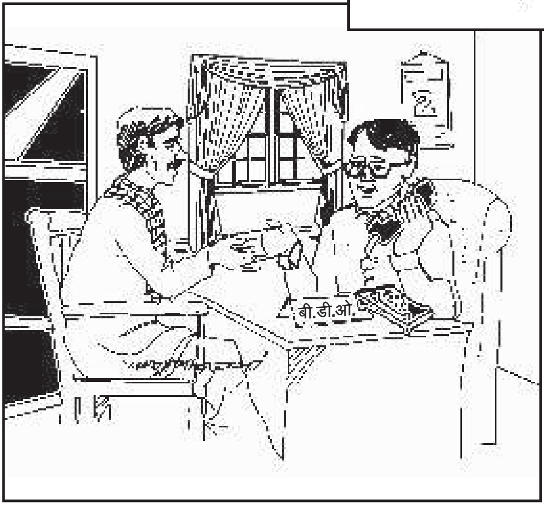

परिवार के बुजुर्गों, बच्चों, बीमारो और गर्भवती महिलाओं को, ठाकुर और ब्राह्मण परिवारों के निःसहाय लोगों के साथ ही सुरक्षित स्थल पर पहुंचा दिए गया। सुरक्षित स्थल पर भी इनकी जरूरतों का ध्यान रखा गया था जैसे प्राथमिक उपचार कार्यदल और आशा बहू को भी राहतपुरवा की गर्भवती महिलाओं की जानकारी थी। राहतपुरवा के सामाजिक जुड़ाव कार्यदल ने विशेष ध्यान रखा कि कहीं कोई एकल महिला परिवार छूट न जाए। जीवन ने रेवती काकी के परिवार और पशुओं को सुरक्षित तरीके से बचाव स्थल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली और निभायी भी।

जीवन और उसके कार्यदल ने यह भी ध्यान रखा कि राहत की सामग्री सभी जरूरतमंद परिवारों को जरूर मिल जाये। सुरक्षित स्थल पर निःसहाय लोगों के प्रति सभी कार्यदल संवेदनशील व्यवहार रखें। साथ ही राहतपुरवा के निवासियों के सहयोग से चारों दलित परिवार सबसे पहले सुरक्षित स्थल पर पहुंच गए थे। जबकि दुखनपुरवा में जोखिम में रहने वाले दोनों मुस्लिम परिवारों का बुरा हाल हुआ। किसी ने उनकी मदद न की जिस कारण उनका अनाज भीग गया, पशुओं को बाढ़ के पानी में खड़े रहने के कारण चर्म रोग हो गए, छोटे जानवर-बकरियां, मुर्गियां बाढ़ में बह गयीं। परिवार के लोग भी घायल हुए। दोनों दलित परिवारों का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, इससे भी दुखद यह हुआ कि

इन चारों ही परिवारों को न कोई राहत सामग्री मिल पायी और न ही इनके नुकसान का सही आंकलन हुआ जिस कारण मुआवजा भी नहीं मिला। जाति, धर्म के भेद-भाव के कारण ठाकुर और ब्राह्मण परिवारों को भी नुकसान हुआ इन लोगों को अनाज बचाने के लिए मजदूर नहीं मिल पाए। दुखनपुरवा के लोगों ने महसूस किया कि ये सिर्फ कहानी की बातें नहीं हैं कि एकता में ताकत होती हैं बल्कि सच है कि साथ मिलजुल कर रहने से बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना आसानी से किया जा सकता है।

सहभागी शिक्षण केन्द्र के बारे में....

सहभागी शिक्षण केन्द्र सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नागर समाज संगठन है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछडे समुदायो के सशक्तीकरण के लिए समर्पित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र अच्छे अभिशासन हेतु जन-सहभागिता जगाने के कार्यों में संलग्न है। यह संस्थान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखण्ड में कार्यरत है। सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रमो में ग्राम्य स्तर/ग्रासरूट पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनो एवं नागर समाज के अन्य संगठनो को आवश्यक शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर उन संस्थाओं व संगठनो की क्षमतावृद्धि करना इस केन्द्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

इस उद्देश्य पूर्ति हेतु केन्द्र द्वारा ग्राम्य स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी, मध्य स्तर एवं क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षण, प्रशिक्षको का प्रशिक्षण, संस्था प्रबन्धन, लेखांकन एवं वित्तीय प्रबन्धन, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण, पी.आर.ए. एवं माइक्रोप्लानिंग आदि प्रमुख हैं। साथ ही केन्द्र द्वारा कार्यनीतिक नियोजन,परिणाम आधारित कार्यक्रम नियोजन व प्रबंधन तथा आन्तरिक संगठन प्रबन्धन से जुडे विभिन्न मुद्दो पर लघु अवधीय प्रशिक्षण व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद केन्द्र द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रभावी व कारगर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास एवं प्रयोग किये जा रहे हैं। इस दृष्टि से केन्द्र द्वारा स्थानीय स्वशासन के सशक्तीकरण हेतु राज्य व जिला स्तरीय संदर्भ केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

स्थानीय स्वशासन के मुद्दे पर केन्द्र द्वारा अनेक अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें विभिन्न कर्ताओं की क्षमतावृद्धि के साथ साथ जानकारी का आदान-प्रदान, स्थानीय स्वशासन से जुडे विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन, सम्बन्धित घटको के साथ अन्तर्सम्बन्ध निर्माण एवं विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर पैरवी का कार्य किया जा रहा है। जन केन्द्रित विकास की दशा एवं दिशा को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्र 10 जनपदों में नगरीय एवं ग्रामीण स्वशासन इकाईयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त विकास में संलग्न विभिन्न कर्ताओं को अनुश्रवण मूल्यांकन, संस्थागत विकास, टीम बिल्डिंग, शोध एवं अध्ययन, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण आदि के संदर्भ में केन्द्र द्वारा परामर्शी सेवायें भी प्रदान की जाती हैं। सहभागी शिक्षण केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के चार क्षेत्रों में अपने को स्थानीय स्वशासन के साथ विभिन्न मुद्दो पर जैसे- सामाजिक अंकेक्षण, पलायन, आपदा प्रबंधन, बालिका शिक्षा व वन अधिकार आदि के क्षेत्रों में नवाचार प्रयोग किया है। इन प्रयोगों से निकले अनुभवों को प्रशिक्षण और नीतिगत पैरवी हेतु उपयोग किया जाता है।

सहभागी शिक्षण केन्द्र

सहभागी रोड, छठा मील, पुलिस फायर स्टेशन के पीछे

सीतापुर रोड, लखनऊ-227 208 (उ.प्र.)

फोन : (0522) 6980124, 9452293783, 9616231499

9935302536, 9935321481

ईमेल: info@sahbhagi.org वेबसाइट: www.sahbhagi.org